web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 86

कोरोना को लेकर हाईलेवल बैठक में हुई अहम चर्चा

आईएमए ने जारी की गाइडलाइंस, शादी समारोह और रैलियों को टाला जाए- मास्क जरूर लगाएं

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से बचाव के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में एकबार फिर फ्रंटफुट पर आ गए हैं। पीएम मोदी ने कोविड तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और सभी राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। इस दौरान कोरोना के नए वैरिएंट के खिलाफ लड़ाई के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। यह मीटिंग तकरीबन दो घंटे तक चली। पीएम ने मीटिंग के बाद कोरोना की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने, बुजुर्गों के टीकाकरण पर ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट पर भी बाहर से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी किए जाने और जीनोम सिक्वेंसिंग व टेस्टिंग पर ध्यान देने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक, सरकार मास्क पहनना अनिवार्य कर सकती है। इसके लिए जल्द गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। इधर,चीन से लौटे गुजरात में भावनगर शहर के एक कारोबारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।

बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 185 नए मामले आए।

इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कारोबारी की रैपिड टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर भेजा गया है। पीएम ने फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना योद्धाओं की निस्वार्थ सेवा की सराहना की. पीएम मोदी ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटीलेटर, कर्मचारियों सहित अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कोविड से संबंधित जरूरी सुविधाओं का ऑडिट करें. आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और कीमतों की नियमित निगरानी की जाए.

देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी

ने एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है। नए वैरियंट बीएफ.7 के मरीज मिलने से यह चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। संक्रमितों की संख्या और न बढ़े इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों समेत मेडिकल संस्थान भी एक्शन में आ गए हैं।

इसी दिशा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एडवाइजरी जारी की है। जो इस प्रकार है:-

मास्क लगाएं। साबुन से हाथ धोएं या सेनेटाईजर का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शादी, पार्टी, मेले जैसी पब्लिक गैदरिंग से बचें। संभव हो तो अंतरराष्ट्रीय यात्रा से परहेज करें। सर्दी, खांसी, जुकाम समेत कोविड जैसे किसी लक्षण पर टेस्ट करवाएं और वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें।

त्यौहारों पर राज्यों को सतर्क रहने की सलाह- हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर जांच शुरू

संसद में अभी शीतकालनी सत्र चल रहा है और सदन की कार्यवाही का आज 12वां दिन है। संसद में चीन सीमा विवाद को लेकर आज भी हंगामा देखने को मिला। इसके साथ ही दोपहर को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को लेकर बयान दिया। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना से लडऩे के लिए हमारी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए मास्क पहनना चाहिए। विदेश से होने वाले हवाई यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। मनसुख मांडविया ने कहा कि त्योहारी सीजन और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे प्रिकॉशनरी डोज के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन भारत में मामले कम हो रहे हैं। हम चीन में बढ़ते कोविड मामलों और इससे होने वाली मौतों को देख रहे हैं। हम वैश्विक कोविड स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उसी के अनुसार कदम उठा रहे हैं। राज्यों को सलाह दी जा रही है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट की समय पर पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं।

अब कोरोना से बचने के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं, नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सदन में बताया कि विशेषज्ञ समिति ने कोरोना वायरस के लिए नाक से दिए जाने वाले नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति को इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी और बस नाक में ड्रॉप डालो और फायदा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 28 नवंबर को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने घोषणा की थी कि इनकोवैक नाक से खुराक देने वाली (बगैर सुई के) दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। इसे इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कहा जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में संसद के दोनों सदनों में स्वत: वक्तव्य देते हुए कहा कि देश में स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति अच्छी है तथा जरूरी दवाओं और आक्सीजन तथा अन्य उपकरणों का पर्याप्त भंडार है।

महत्वपूर्ण एवं खास

बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया

नई दिल्ली (आरएनएस)। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को एक बार फिर विफल कर दिया है। बीएसएफ जवानों ने पंजाब के फिरोजपुर की भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को रात 8 बजे बीएसएफ के जवानों ने फिरोजपुर सेक्टर के बीओपी हरभजन के पास भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से आते एक ड्रोन की आवाज सुनी। घुसपैठ को विफल करने के प्रयास में बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी के बाद पूरी घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और इसके बाद आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गुरुवार सुबह 8 बजे गोलीबारी में नीचे गिरे एक ड्रोन को खेत से बरामद किया गया। पूरी कार्यवाही को बीएसएफ की 101 सीमांत बटालियन ने अंजाम दिया। फिलहाल आसपास के इलाकों में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ड्रोन से लाए गए किसी भी संदिग्ध सामग्री को बरामद किया जा सके।

पेंसिल की छीलन गले में फंसी, 6 साल की बच्ची की मौत

हमीरपुर (आरएनएस)। पेंसिल की कतरन गले में फंस जाने से छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। कक्षा 1 की छात्रा अर्तिका अपने भाई-बहनों के साथ पहाड़ी वीर गांव में अपने घर की छत पर पढ़ रही थी। वह कटर को मुंह में दबाकर पेंसिल छील रही थी। तभी कटर से पेंसिल की छीलन निकली और उसकी सांस की नली में फंस गई। लडक़ी सांस नहीं ले पा रही थी और उसकी हालत बिगडऩे पर उसके भाई-बहनों ने अपने माता-पिता को सूचित किया, जो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और शव लेकर घर लौट गए।

वरिष्ठ आईपीएस संदीप गोयल को गृह मंत्रालय ने किया सस्पेंड

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के पूर्व जेल प्रमुख आईपीएस संदीप गोयल को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। उन्हें दिल्ली पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। बता दें कि संदीप गोयल का एक महीने पहले जेल डीजी पद से ट्रांसफर कर दिया गया था। गृह मंत्रालय की तरफ से उनके निलंबन का आदेश अचानक कल रात को जारी किया गया। गृह मंत्रालय की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले महीने सनसनीखेज दावा किया था कि उसने गोयल को मंडोली जेल में उसकी सुरक्षा के लिए 12.5 करोड़ रुपये संरक्षण धन के रूप में दिए थे। उसका दावा था कि उसने कुल 10 करोड़ रुपये सत्येंद्र जैन को और 12.50 करोड़ रुपये डीजी जेल संदीप गोयल को दिए थे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने संदीप गोयल के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से हटा दिया था।

सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया, जिसका उद्देश्य जीवन को आसान बनाने के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन करना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-चीन सीमा संघर्ष के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में यह विधेयक पेश किया।

विधेयक को विचार के लिए संयुक्त संसदीय पैनल के पास भेजा गया।

पैनल 2023 में बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

गोयल ने कहा कि 31 सदस्यीय संयुक्त समिति में 21 सदस्य लोकसभा से होंगे, जबकि शेष 10 राज्यसभा से होंगे।

संयुक्त समिति में जिन लोकसभा सदस्यों को मनोनीत किया गया है, उनमें पी.पी. चौधरी, संजय जायसवाल, उदय प्रताप सिंह, संजय सेठ, महारानी ओजा, खगेन मुर्मू, पूनमबेन हेमतभाई मादाम, पूनम प्रमोद महाजन, अपराजिता सारंगी, अरविंद धर्मपुरी, राजेंद्र अग्रवाल, रतन लाल कटारिया, गौरव गोगोई, डीन कुरियाकोस, डी. राजा, सौगत राय, वेंकट सत्यवती बेसेटी, गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, पिनाकी मिश्रा और गिरीश चंद्र शामिल हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की मुसीबत बढ़ी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

जोधपुर (आरएनएस)। बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट फैसला सुना दिया है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा तथा बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने महेश नागर और अन्य की याचिका खारिज करने के आदेश दिए हैं। वहीं दो हफ्ते तक पहले का अंतरिम आदेश जारी रहेगा जिस दौरान परिवादी फिर से अपील भी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जोधपुर हाईकोर्ट जस्टिस डॉ। पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकलपीठ ने फैसला सुनाया है।

दरअसल, ईडी ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और महेश नागर की 482 के प्रार्थना पत्र और इंफोर्समेंट डायरेक्टरी पेश की जिस पर बुधवार को कस्टोडियल परमिशन के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

बता दें कि बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त के मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा पर चल रहे मामले में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की थी। बुधवार को कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया था जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला गुरुवार तक सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि इस मामले में वाड्रा समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी थी।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बीकानेर भूमि घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक मामला दर्ज कर रखा है जिसकी जांच बीकानेर के सीमावर्ती जिले के कोलायत क्षेत्र में कंपनी द्वारा 275 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ी है।

वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2016 में स्थानीय तहसीलदार द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था।

बता दें कि वाड्रा का यह मामला करीब 5 सालों से राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है जिस पर अभी तक 80 से अधिक बार सुनवाई हो चुकी है। इससे पहले कोर्ट की एकलपीठ के सामने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच को चुनौती दी थी। वहीं राबर्ट वाड्रा की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी जिस पर 19 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी हुए थे।

टेलर कन्हैयालाल की जघन्य हत्या के मामले में एनआईए ने कोर्ट में पेश किया चालान

जयपुर (आरएनएस)। उदयपुर मे छह माह पहले टेलर कन्हैयालाल तेली की जघन्य हत्या के मामले में एनआईए ने कोर्ट में 11 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। 9 आरोपी अजमेर जेल में है और दो को फरार बताया गया है। अभी किसी को भी चालान की कॉपी नहीं दी गई है। आरोपियों को भी पेश नहीं किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को रखी गई है।

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा के मोहम्मद साहब को लेकर दिए कथित बयान का समर्थन करने पर उदयपुर में मुख्य अभियुक्त मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने भूत महल मालदासी स्ट्रीट में कन्हैयालाल की गला रेत कर जघन्य हत्या कर दी थी।

उदयपुर में गत 28 जून को मुस्लिम कट्टरपंथी रियाज मोहम्मद अत्तारी व मोहम्मद गौस ने टेलर कन्हैयालाल की जघन्य हत्या कर दी थी। इस मामले में शहर में सांप्रदायिक माहौल बिगडऩे की स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने माहौल को नहीं बिगडऩे दिया। मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने लगातार इस मामले में पूछताछ करते हुए कुल 9 आरोपियों को मुल्जिम बनाया है। ये सभी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

आपको बता दें कि एनआईए ने दोनों मुख्य अभियुक्तों के अलावा मोहसिन खान, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फराज शेख उर्फ पपला, जावेद समेत 9 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। चालान में इन सभी का नाम शामिल है। इससे पहले एनआईए महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के आरोपियों के खिलाफ भी चार दिन पहले चालान पेश कर चुकी है।

जैकलीन फर्नांडीज ने विदेश जाने की अपनी याचिका वापस ली

नई दिल्ली (आरएनएस)। बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज ने राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत में विदेश जाने की अपनी याचिका वापस ले ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने उनकी विदेश यात्रा की याचिका का विरोध किया। एजेंसी ने कहा कि वह एक अभिनेत्री हैं, और विदेशी नागरिक हैं, और जिस मामले में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है वह निर्णायक चरण में है। इस पर फर्नांडीज के वकील ने तर्क दिया कि एजेंसी ने मामले में अपनी जांच पूरी नहीं की है। न्यायाधीश ने उनके वकील से सवाल किया कि क्या वह आवेदन वापस लेना चाहता है, या न्यायिक आदेश चाहता है। वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। फर्नांडीज करोड़पति सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में आरोपी हैं। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने 20 दिसंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था और 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा करने की अनुमति मांगने वाले फर्नांडीज के आवेदन पर जवाब मांगा था।

पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई

कोलकाता (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व महासचिव पार्थ चटर्जी और छह अन्य की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। सभी सातों आरोपियों को अगले साल 5 जनवरी को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। गुरुवार को, चटर्जी के वकील सेलिम रहमान ने अदालत में तीखी दलील दी, यहां तक कि इस मामले में ठोस सबूत पेश करने के संबंध में सीबीआई की क्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने मामले में अपनी दलील पेश करते हुए 26/11 मुंबई नरसंहार के मुख्य आरोपी अजमल कसाब से संबंधित मामले का भी जिक्र किया। रहमान ने तर्क दिया- आखिरकार उसे फांसी दे दी गई, वह उचित जांच और न्यायिक प्रक्रिया से भी गुजरा। लेकिन इस मामले में जांच एजेंसी ठोस सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर रही है। मैंने जांच की ऐसी अभूतपूर्व शैली कभी नहीं देखी। जांच प्रक्रिया में तेजी लाएं।

जवाबी तर्क में, सीबीआई के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अक्षमता के आरोप लगाए गए हैं, यह तथ्य है कि सीबीआई की जांच अभियुक्तों के रैंक या स्थिति से प्रभावित नहीं होती है। उन्होंने कहा- सीबीआई की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में ओम प्रकाश चौटाला और लालू यादव का हश्र शायद सभी को याद होगा।

सरकार ने भ्रामक जानकारी देने वाले 104 यूट्यूब चैनल और 45 वीडियो को किया है ब्लॉक : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली (आरएनएस)। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि सरकार ने झूठी और भ्रामक जानकारी देने के लिए 104 यूट्यूब चैनल और 45 वीडियो सहित कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों के प्रसार को लेकर किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बताया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि भारत सरकार ने 104 यूट्यूब चैनलों और 45 वीडियो को ब्लॉक किया है।

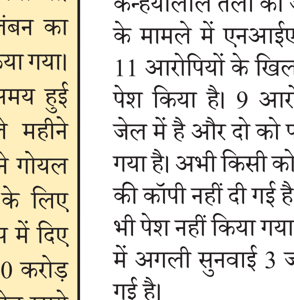

ये सभी झूठी और भ्रामक जानकारी देने वाली खबरें प्रसारित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके अलावा चार फेसबुक अकाउंट और दो पोस्ट, इंस्टाग्राम पर तीन अकाउंट, पांच ट्विटर अकाउंट, दो एप, छह वेबसाइट और तीन पॉडकास्ट को भी ब्लॉक किया गया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत गुमराह करने और समाज में भय और विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। ठाकुर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगलसिंह लोखंडवाला के सवाल का जवाब दे रहे थे।

वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के बच्चों को निशाना बनाने वाले यौन प्रकृति के भ्रामक विज्ञापनों के सवाल पर ठाकुर ने कहा अगर डिजिटल प्लेटफार्म पर आईटी नियम के विरुद्ध कोई भी विज्ञापन दिखता है तो उस चैनल के खिलाफ समय-समय पर नियमानुसार उनको नोटिस दिया जाता है व कार्रवाई भी होती है।

अब बांके बिहारी के दर्शन होंगे आसान, छह किलोमीटर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को मंजूरी

ग्रेटर नोएडा (आरएनएस)। अयोध्या और काशी के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की नजर मथुरा की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की और अपनी राह बढ़ा ली है। अब वृंदावन और मथुरा से जुड़ी हुई सांस्कृतिक, धरोहर को पुनर्जीवित पीपीपी मॉडल के माध्यम से होगा। मथुरा वृंदावन भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है यहां पर एक हेरीटेज कॉरीडोर बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। 12 सौ हेक्टेयर में यह बनाई जायेगी। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) यमुना एक्सप्रेस वे से बांके बिहारी मंदिर को सीधे जोडऩे के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनवाने जा रहा है। ये 100 मीटर

चौड़ा होगा। यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के किनारे अपने कल्चरल हेरिटेज मथुरा के ब्रिज क्षेत्र को दिखाने के लिए एक पूरा एरिया विकसित किया जाएगा। वृंदावन से जुड़ी हुई और मथुरा से जुड़ी हुई जो हमारी सांस्कृतिक, फिलोसॉफिकल धरोहर है, उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है।

मथुरा में यमुना प्राधिकरण का एक अर्बन नोट स्वीकृत हुआ है उस को राया अर्बन नोट कहते हैं। जिसके अनुसार वहां पर एक हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसकी ग्लोबल टेंडरिंग होगी और पीपीपी मॉडल रखा जाएगा। एक्सप्रेस वे का खर्चा प्राधिकरण वहन करेगा और जो जो पीपीपी डेवलपर होगा वह बाकी चीजें उसके द्वारा की जाएंगी। इसके लिए जमीन प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। यमुना एक्सप्रेस वे से बांके बिहारी मंदिर को सीधे जोडऩे के लिए छह किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनवाएगा।

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के किनारे म्यूजियम के साथ-साथ द्वापर काल से जो गांव थे जैसे नंदगांव, बरसाने, गोकुल भी विकसित होंगे जो पूरी तरह से श्रीकृष्ण के जीवन की झलकियां दर्शाएंगे।

डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कांसेप्ट है। साथ ही साथ कथा वाचनालय केंद्र बनेंगे। यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पहले बांके बिहारी मंदिर को और इसी एक्सप्रेस वे से एक मार्ग निकालकर द्वारकाधीश मंदिर को जोड़ा जाएगा। इसको जोडऩे से लोगों को सुगमता हो जाएगी और वृंदावन पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। इससे पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी।

यहां पार्किंग के लिए विशेष विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं मथुरा वृंदावन वाहनों के पार्किंग की भारी समस्या है। उसको दूर करने के लिए पार्किंग का एक विशाल स्थान बनाया जा रहा है। जिससे लोग जाम का सामने किए बगैर सीधे मंदिर जाकर दर्शन कर सकेंगे।